"ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक विकास में स्वयं सहायता समूह का योगदान – एक आर्थिक अध्ययन" (लखीसराय जिला के संदर्भ में)

आनंद मोहन
शोधार्थी
कार्मिक प्रबंध एवं औधोगिक संबंध विभाग,
पटना विष्वविद्यालय, पटना

पर्यवेक्षक
प्रो० (डॉ.) शरद प्रवाल
कार्मिक प्रबंध एवं औधोगिक संबंध विभाग,
पटना विष्वविद्यालय, पटना

शोध सार

किसी भी देष के आगे बढ़ने के लिए पहली एवं सबसे जरूरी शर्त्त है कि समाज के सभी तबके का एक समान सषक्तीकरण हो। यह तभी हासिल हो सकता है, जब एक समान विकास का मौका सुनिष्चित करने के लिए अलग–अलग योजनाओं और नीतियों का एकीकरण हो। सरकार बहुआयामी रणनीति पर काम कर समाज के इन अलग–अलग तबकों के सषक्तीकरण की कोषिष कर रही है। सरकार ने लैंगिक समानता और महिला सषक्तीकरण के लिए अनेकानेक नीतिगत उपाय किए है। स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) को बढ़ावा देना और सूक्ष्म वित्त (Microfinance) के माध्यम से आर्थिक तौर पर सक्रिय बनाना इनमें से एक है।

वर्त्तमान परिवेष में विकास का स्वरूप का आधार ऋण है। यानि ऋण के जरिये विकास को सुनिष्चित करना यानि "कर्ज आधारित विकास" अन्तराष्ट्रीय स्तर पर विष्व बैंक हो या राष्ट्रीय बैंक या सरकार या अर्थषास्त्री सभी एक सुर में ऋण के जरिये विकास (यानि कर्ज आधारित विकास) पर बल दे रहें है। इसकी कड़ी में स्थानीय स्तर पर स्वयं सहायता समूहों को छोटे–छोटे ऋणों का लाभ दिया जा रहा है। जिसे लघु–ऋण का नाम दिया गया। खासतौर पर जब बांग्लादेष के नोबेल पुरस्कार विजेता तथा ग्रामीण बैंक के संस्थापक मोहम्मद युनुस ने यह साबित कर दिया कि लघु–वित्त, ऋण देने वाले और ऋण लेने वाले दोनों ही के लिए लाभदायक है।

निर्धनता में कमी लाने तथा स्वयं सहायता समूहों की भूमिका के संदर्भ मे सूक्ष्म–वित्त को वित्तीय सेवाएँ देने का सषक्त माध्यम माना गया है।

स्वयं सहायता समूह के माध्यम से लघु–वित्त प्राप्त करके महिलाएँ गरीबी, बेरोजगारी, कर्ज एवं निरक्षरता के चक्रव्यूह से निकलकर महिलाएँ सामाजिक–आर्थिक उन्नयन की दिषा में कदम बढ़ा रही है।

शब्द कुंजी

स्वयं सहायता समूह, सूक्ष्म वित्त, वित्तीय समावेष, सषक्तिकरण।

प्रस्तावना

महिलाएँ हमारे देष की आबादी का लगभग 50% हिस्सा है। इसलिए राष्ट्र विकास के महान कार्य में महिलाओं की भूमिका तथा योगदान को पूरी तरह सही परिपेक्ष्य में रखकर ही राष्ट्र–निर्माण के कार्य को समझा जा सकता है। दुनिया में ऐसा कोई भी देष नहीं है जहाँ महिलाओं को हाषिए पर रखकर आर्थिक विकास संभव हुआ हो। महिलाओं को विकास की मुख्यधारा से जोड़े बिना किसी समाज, राज्य या देष के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जब हम महिला सषक्तिकरण की बात करते है तो हमारा तात्पर्य पुरूषों की बराबरी करना न होकर महिलाओं को सषक्त करने से है : आर्थिक–सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रत्येक स्तर पर कार्य करने में महिलाओं की सषक्त भागीदारी से है। महिलाएँ

ISSN2277-3630(online),Published by International journal of Social Sciences & Interdisciplinary Research., under Volume: 15 Issue:06 in Jue-2026
https://www.gejournal.net/index.php/IJSSIR
Copyright (c) 2026 Author (s). This is an open-access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution License(CCBY).To viewacopyofthislicense, visithttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

शहरी हो या ग्रामीण उनकी सामाजिक स्थिति बदलने में उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता महत्वपूर्ण योगदान करती है। सरकार भी इस बात को अच्छी तरह जानती और समझती है। इसी के मद्देनजर भारत सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सषक्त करने के लिए विभिन्न योजनाओं के द्वारा पर्याप्त वित्त व्यवस्था के साथ–साथ स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से रोजगार प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बना रही है। जिसका स्वरूप आर्थिक विकास के सभी क्षेत्रों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बैकिंग, संचार, उधोग व्यवस्था, कानून, मनोरंजन, प्रशासनिक आदि क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है।

स्वयंसहायता समूह ऐसे गरीब लोगों का समूह है जिनकी सामाजिक व आर्थिक स्थिति लगभग एक जैसी है। आस–पड़ोस के लोग अपनी इच्छा से एक स्वयंसहायता समूह में संगठित होकर अपने समक्ष उपस्थित विशिष्टि समस्याओं जिन्हे वे अकेले हल नही कर सकते उनसे निपटने के लिए बैठक में चर्चा करते है। समूह को संस्थागत रूप देने के लिए हर सदस्य नियमित रूप से हर सप्ताह या 15 दिन में समूह द्वारा निष्चित राषि की बचत करते है। यह बचत आगे चलकर समूह की शक्ति बन जाती है। समूह सदस्यो की नियमित बचतों मे से जरूरतमंद सदस्यों की उत्पादन अथवा उपभोक्ता की आकस्मिक आवष्यकताओं की पूर्ति के लिए देता है। स्वयंसहायता समूह लगभग एक जैसे सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति वाले ऐसे ग्रामीण लोगों का समूह होता है जो अपनी इच्छा से संगठित होता है। समूह के सभी सदस्य नियमित रूप से थोड़ी–थोड़ी बचत कर सामूहिक निधि में जमा करते है। समूह द्वारा इस राषि का उपयोग सदस्यों की आकस्मिक आवष्यकता की पूर्ति के लिए आपसी लेन–देन द्वारा किया जाता है। समूह के सदस्य हफ्ते, पन्द्रह दिन या महीने में एक बार बैठक कर विभिन्न विषयों पर चर्चा कर, एक–दूसरे की समस्याओं का समाधान करते है। बैठक के दौरान ही राषि जमा की जाती है और ऋण का लेन–देन भी किया जाता है।

स्वयंसहायता समूह का उद्देश्य

स्वयंसहायता समूह का उद्देष्य ग्रामीण निर्धनों की ऋण की जरूरतों की पूर्ति के लिए पूरक ऋण नीतियां बनाना है। इसके साथ ही बैंकिंग गतिविधियों को बढ़ावा देना, बचत तथा ऋण के लिए सहयोग करना, समूह के सदस्यों के भीतर आपसी विष्वास और आस्था बढ़ाना आदि है।

ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने में स्वयं सहायता समूह अहम भूमिका निभा रहे है। ग्रामीण महिलाएँ इन समूहों से जुड़कर न केवल आर्थिक रूप से सशक्त हो रही है बल्कि इससे उनमें स्वावलंबन की प्रवृति भी बढ़ी है।

स्वयं सहायता समूह "**संगठन में शक्ति**" की अवधारणा पर आधारित है। इन समूहों के गठन के पीछे मान्यता है कि बिखरे हुए लोगों को तो उत्पीड़ित एवं शोषित किया जा सकता है। लेकिन यदि उन्हें संगठित किया जाए तो वे बड़ी ताकत बन सकते हैं। इसी अवधारणा पर काम करते हुए ग्रामीण भारत में महिला स्वयं सहायता समूहों ने लाखों अशिक्षित गरीब तबके की महिलाओं को न केवल घर की चौखट के बंधन से मुक्त करके बाहर निकाला है बल्कि उन्हें महत्वपूर्ण आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने में समर्थ बनाया है। इसके साथ–साथ उन्हें एक सामूहिक आवाज भी दी है।

वास्तव में स्वयंसहायता समूह (एसएचजी) ग्रामीण निर्धनों का छोटा, आर्थिक दृष्टि से एकसमान और एक–दूसरे से जुड़ा समूह है। इस समूह की जरूरतें समूह के भीतर एक जैसी होती हैं और सब मिलकर एक ही कार्य सामूहिक रूप से करना चाहते है। यह स्वप्रेरणा से बचत के लिए बनाया गया समूह है और सभी सदस्यों ने एक साधारण निधि में योगदान देना स्वीकार किया है, जिसे समूह के निर्णय के अनुसार जरूरतमंद सदस्यों को उत्पादक तथा उपभोग के प्रयोजनों के लिए ऋण के रूप में दिया जाएगा, ताकि उनकी आय में बढ़ोतरी हो और उनके जीवन–स्तर में बेहतरी आए। स्वयंसहायता समूहों का उपयोग 1970 के दशक के आरंभ से शुरू हुआ। निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए समूह गठन की कवायद शुरू की गई। ग्रामीण भारत में स्वयंसहायता समूहों में शामिल होने वाली निर्धन महिलाओं और पुरुषों की संख्या में अधिकाधिक वृद्धि हो रही है। कई ऐसे समूह, जो पहले छोटे–मोटे ऋण एवं बचत समूहों के रूप में कार्य कर रहे थे, अब परिवर्तन के अग्रदूत बन गए हैं और समुदाय की

ISSN2277-3630(online),Published by International journal of Social Sciences & Interdisciplinary Research., under Volume: 15 Issue:06 in Jue-2026
https://www.gejournal.net/index.php/IJSSIR
Copyright (c) 2026 Author (s). This is an open-access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution License(CCBY).To viewacopyofthislicense, visithttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

जरूरतों और मांगों को आधार बना कर समुदाय विकास, पहलकदमियों तथा राजनीतिक जनतंत्र को मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं।

संक्षेप में, स्वयं सहायता समूह ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक, मानसिक और राजनीतिक सषक्तिकरण का समग्र एवं प्रभावी मॉडल है, जो न केवल गरीबी उन्मूलन में सहायक है बल्कि सामुदायिक भागीदारी, सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता और सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। SHG ग्रामीण भारत में परिवर्तन का ऐसा साधन बन चुका है जिसने लाखों महिलाओं के जीवन में आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान और सामूहिक शक्ति ही वास्तविक अनुभूति कराई है।

भारत में महिला सषक्तिकरण और गरीबी उन्मूलन की विभिन्न नीतियों में SHG मॉडल ने एक केंद्रीय स्थान ग्रहण किया है। SHG का मूल उद्देष्य : सामूहिक बचत, ऋण सुविधा, सुरक्षित वित्तीय व्यवहार, तथा आत्मनिर्भरता के अवसर प्रदान करना है। बिहार, जहाँ कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था के साथ गरीबी, लचीलापन कम होना और पारंपरिक लैंगिक विभाजन गहरा है, ऐसे प्रदेष में SHG का प्रभाव का विश्लेषण करना नीतिगत दृष्टि से आवष्यक है। यह अध्ययन SHG से जुड़ी महिलाओं की आय, बचत, कर्ज के उपयोग, उद्यमषीलता, संपत्ति अधिग्रहण तथा परिवारिक निर्णय–प्रक्रिया में बदलाव की समीक्षा करता है।

साहित्य का अवलोकन

विष्नोई, कुरूक्षेत्र, (मार्च 2001)– भारत में ऐसे दीन–हीन लोगों के लिए एक योजना शुरू की गई थी, जिसमें लोग अपने आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए 10–20 लोगों को मिलाकर स्व–सहायता समूह बनाते थे। वे स्वयं अपने पास की अल्प राषि बचत कर बैंक में जमा करते और फिर बैंक के माध्यम से उन्हें आवष्यक ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाती थी। आधे दषक तक यह योजना इसीलिए धीमी गति से चल रही थी क्योंकि बैंक ने इसमें कोई रूचि नहीं ली थी। वर्ष 1998 में केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त कर स्व–सहायता समूह आंध्रप्रदेष, महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा गुजरात आदि प्रदेषों में अधिक विकास कर आगे निकल गये।

गौरव जोशी (2019) ने अपने शोध 'भारत में माइक्रोफाईनेंस कार्यक्रम में महिलाओं के स्वयं–सहायता समूह की भागीदारी के विष्लेषण' में यह पाया कि भारत में वित्त व्यवस्था के माध्यम से स्वयं–सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधरी है तथा आसान प्रणाली से वित्त की व्यवस्था हो पा रही है जिससे महिलाओं का विकास हो पा रहा है।

कु. निशा (2016) ने अपने शोध कार्य छत्तीसगढ़ में जनजाति महिलाओं के आर्थिक विकास में स्वयं–सहायता समूह का योगदान पर केन्द्रित रखा। अध्ययन का क्षेत्र छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले का नगरी विकासखण्ड था। इनका यह शोध कार्य प्राथमिक समंको पर आधारित था।

द मैनेजमेंट अकाउंटेंट (2015) ने अपनी रिपोर्ट में माना कि स्वयं–सहायता समूह उन महिलाओं के लिए सबसे लाभकारी है जिन महिलाओं के पास बैंकिंग क्षेत्र या तंत्र के बारे में जानकारी नहीं है। रिपोर्ट में यह भी माना गया है कि स्वयं–सहायता समूह द्वारा चलाए जाने वाले सूक्ष्म वित्त की सुविधा से गरीब व्यक्ति भी आसानी से ऋण प्राप्त कर सकता है तथा उसे वापस चुका सकता है। रिपोर्ट ने यह भी माना है कि सूक्ष्म वित्त से बचत की प्रवृति में भी वृद्धि होती है।

ग्रामीण आजीविका मिषन भारत में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ग्रामीण भारत में गरीबी निवारण हेतु सरकार द्वारा चलाई जा रही एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना की सफलता हेतु बहुत से अध्ययन किये गए है। प्रस्तुत अध्ययन अनुभावित तथ्यों पर भी आधारित है जो इस योजना की धरातल पर वास्तविक सफलता को बताता है।

अध्ययन क्षेत्र

प्रस्तुत अध्ययन लखीसराय (बिहार) जिले के संबंध में है। जिसकी कुल जनसंख्या लगभग 10,00,912 (जनगणना–2011) है। जिसमें पुरुष 5,26,227 तथा महिलाएँ 4,74,685 है। यहाँ का लिंगानुपात 902 तथा साक्षरता दर 62.42% है। पुरुष साक्षरता 73.

ISSN2277-3630(online),Published by International journal of Social Sciences & Interdisciplinary Research., under Volume: 15 Issue:06 in Jue-2026
https://www.gejournal.net/index.php/IJSSIR
Copyright (c) 2026 Author (s). This is an open-access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution License(CCBY).To viewacopyofthislicense, visithttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

37% तथा महिला साक्षरता 50.45% है। यहाँ मुख्य रूप से मगही, हिन्दी तथा अंगिका बोली जाती है। शोधार्थी द्वारा अध्ययन क्षेत्र में जाकर अनुसूची व साक्षात्कार विधियों के माध्यम से ऑकड़े एकत्रित किये गये जिसमें से शोधार्थी द्वारा 100 व्यक्तियों को लेकर शोध कार्य पूरा किया गया है। यहाँ ऑकड़े को एकत्रित कर विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है।

अध्ययन का उद्देश्य

किसी भी शोध कार्य को पूरा करने के लिए तथा सामाजिक घटनाओं के संबंध में अनुभवात्मक ज्ञान की प्राप्ति सत्यापन की आवश्यकता एवं भावी अनुसंधान की संभावनाओं को विकसित करने के लिए अध्ययन के उद्देश्य निर्धारित करता आवश्यक हो जाता है।

भारत में महिलाओं की परम्परागत सामाजिक स्थिति और आर्थिक सहभागिता सीमित रही है। SHG आधारित हस्तक्षेपों से मिलने वाले निम्नलिखित संभावित लाभों का मूल्यांकन आवश्यक है।

- महिलाओं की नियमित बचत की आदत तथा वितीय समावेशन
- महिलाओं की नियमित आय में वृद्धि
- सूक्ष्म उधमों की स्थापना व रोजगार सृजन
- महिलाओं की आत्मनिर्भरता
- घरेलू निर्णयों में महिलाओं की भागीदारी
- महिलाओं की आर्थिक स्थिति का समग्र विश्लेषण कर नीति–निर्देश प्रस्तावित करना

अध्ययन की परिकल्पना

प्रस्तुत शोध–कार्य निम्न परिकल्पनाओं पर आधारित है।

- स्वयं सहायता समूह गरीबी उन्मूलन करने में समर्थ है।
- स्वयं सहायता समूह ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक विकास मे सहायक है।
- स्वयं सहायता समूह से गरीबी को दूर करने में ग्रामीण महिलाओं को लाभ नहीं मिल पा रहा है।

शोध प्रविधि

किसी भी शोध कार्य को लक्ष्यहीन नहीं कहा जा सकता है कोई भी शोध कुछ निश्चित तथ्यों से प्रेरित होकर ही निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शोध कार्य किया जाता है। ज्ञान के लिए शोध आवश्यक होता है। वर्त्तमान समय में शोध या अनुसंधान का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र से संबंधित तथ्यों का प्रमाणीकरण, नवीनीकरण एवं सत्यापन अनुसंधान के द्वारा हीं किया जा सकता है।

प्रस्तुत शोध कार्य को पूरा करने के लिए प्राथमिक ऑकड़ा और द्वितीयक ऑकड़ा का प्रयोग किया गया है। प्राथमिक ऑकड़ा के लिए अध्ययन क्षेत्र के 100 महिलाओं का साक्षात्कार लिया गया तथा द्वितीयक ऑकड़ो के लिए कुछ शोध–पत्र, पुस्तक तथा इन्टरनेट का सहारा लिया गया।

ऑकड़ो का वर्गीकरण एवं सारणीयन

प्रस्तुत शोध पत्र में तथ्यों को प्राप्त करने के बाद संकलित तथ्यों को सारणी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तथा सांख्यिकीय विश्लेषण तथा प्रदर्शन किया गया है।

ISSN2277-3630(online),Published by International journal of Social Sciences & Interdisciplinary Research., under Volume: 15 Issue:06 in Jue-2026
https://www.gejournal.net/index.php/IJSSIR
Copyright (c) 2026 Author (s). This is an open-access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution License(CCBY).To viewacopyofthislicense, visithttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

परिवार की प्रकृति

क्रम सं0	परिवार की प्रकृति	आवृत्ति	प्रतिशत (%)
01	एकल परिवार	55	55%
02	संयुक्त परिवार	45	45%
	योग	100	100%

स्त्रोत – प्राथमिक स्त्रोत तालिका संख्या – 01

परिवार की प्रकृति से संबंधित चित्र
चित्र संख्या – 01

उपरोक्त तालिका एवं वृत्तारेख से स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं से 55% एकल परिवार में रह रही है तथा 45% महिलाएँ संयुक्त परिवार में रह रही है।

स्वयं सहायता समूह के बारे में जानकारी

क्रम सं0	स्वयं सहायता समूह के बारे में जानकारी	आवृत्ति	प्रतिशत (%)
01	हाँ	67	67%
02	नहीं	33	33%
	योग	100	100%

स्त्रोत – प्राथमिक स्त्रोत तालिका संख्या – 02

स्वयं सहायता समूह की जानकारी से संबंधित
चित्र संख्या – 02

उपरोक्त तालिका एवं संबंधित वृत्तारेख से स्पष्ट है कि ग्रामीण महिलाओं में से 67% महिलाएँ स्वयं सहायता समूह के बारे मे जानकारी रखती है। तथा 33% महिलाएँ S.H.G. के बारे में जानकारी नही रखती है।

ISSN2277-3630(online),Published by International journal of Social Sciences & Interdisciplinary Research., under Volume: 15 Issue:06 in Jue-2026
https://www.gejournal.net/index.php/IJSSIR
Copyright (c) 2026 Author (s). This is an open-access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution License(CCBY).To viewacopyofthislicense, visithttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के कारण

क्रम सं0	स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के कारण	आवृत्ति	प्रतिशत (%)
01	बेरोजगारी दूर करने के लिए	15	15%
02	गरीबी दूर करने के लिए	45	45%
03	महिलाओं को सषक्त करने के लिए	30	30%
04	उपर्युक्त में से कोई नहीं	4	4%
05	अन्य कारण	6	6%
	योग	100	100%

स्त्रोत – प्राथमिक स्त्रोत तालिका संख्या – 03

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 15% ग्रामीण महिलाओं का कहना है कि बेरोजगारी दूर करने के लिए आवष्यक है। 45% ग्रामीण महिलाओं का कहना है कि गरीबी दूर करने लिए S.H.G से जुड़ना आवष्यक है। 30% ग्रामीण महिलाओं का कहना है कि महिला को सषक्त करने के लिए S.H.G. से जुड़ना आवष्यक है। 4% महिलाएँ का कहना है कि बेरोजगारी दूर करने, गरीबी दूर करने और महिला का सषक्त होने का कारण S.H.G. से जुड़ना नही है। 6% महिलाओं का कहना है कि किसी अन्य कारण से S.H.G. से जुड़ती है।

स्वयं सहायता समूह की सदस्याता एवं आत्मनिर्भरता

क्रम सं0	स्वयं सहायता समूह के सदस्यता एवं आत्मनिर्भरता	आवृत्ति	प्रतिशत (%)
01	हाँ	80	80%
02	नहीं	20	20%
	योग	100	100%

स्त्रोत – प्राथमिक स्त्रोत तालिका संख्या – 04

सदस्यता एवं आत्मनिर्भरता से संबंधित चित्र
चित्र संख्या – 03

उपरोक्त तालिका एवं चित्र से स्पष्ट होता है कि 80% ग्रामीण महिलाओं का कहना है कि S.H.G के सदस्यता ग्रहण करने के उपरान्त महिला आत्मनिर्भर हो जाती है। 20% महिला का कहना है कि S.H.G की सदस्यता लेने के बाद भी महिला आत्मनिर्भर नहीं हो पाती है।

ISSN2277-3630(online),Published by International journal of Social Sciences & Interdisciplinary Research., under Volume: 15 Issue:06 in Jue-2026
https://www.gejournal.net/index.php/IJSSIR
Copyright (c) 2026 Author (s). This is an open-access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution License(CCBY).To viewacopyofthislicense, visithttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियाँ एवं बाधाएँ

- समूह के सदस्यों के बीच आपसी सामन्जस, समन्वय तथा एकरूपता का अभाव होता है।
- विभिन्न वैधानिक प्रक्रिया को पूरा करने में अशिक्षा बाधा बन कर सामने आता है।
- स्वयं सहायता समूह के संवधर्न में प्रशिक्षण एवं कौशल विकास की कभी बाधा बन कर सामने आता है।
- स्वयं सहायता समूहों के संवधर्न में बुनियादी अवसंरचना की कमी।
- राजनीतिक व संस्थागत समर्थन की असमानता।
- समूह की आचार संहिता दीर्घ काल तक पालन करना कठिन होता है।
- सरकार की ऋण माफी नीतियाँ समूह के सदस्यों को नैतिक रूप से कमजोर बनाती है।
- सदस्यों में तकनीक, उद्यमिता तथा जागरूकता का अभाव होता है।
- आदर्श पूँजी की कमी उद्यमों को बड़े स्तर पर नहीं बढ़ने देती।
- उत्पाद बेचने के लिए उपयुक्त बाजार एवं मूल्य न होना।
- समूह के अन्दर वित्तीय प्रबंधन और पारदर्शिता का अभाव।

सुझाव

साहित्य अवलोकन एवं क्षेत्र अध्ययन क्षेत्र तथा ऑकड़े के विष्लेषण के उपरान्त यह देखा गया कि महिला स्वयं सहायता समूहों के विकास के लिए अनेको महत्वपूर्ण प्रभावकारी कार्य किए जा रहे हैं। परन्तु ग्रामीण महिलाओं के विकास या ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए स्वयं सहायता समूहों पर और अभी ध्यान देने की आवश्यकता है। शोध–कार्य सम्पन्न होने के उपरांत महिला स्वयं सहायता समूहों को विकास की ओर तथा महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए तथा महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिये जा सकते हैं।

- समूह के सदस्यों के बीच सामन्जस एवं एकता को बढ़ाने के लिए प्रभावी प्रयास करना चाहिए।
- सदस्यों के अशिक्षा को दूर करने के लिए सरकारी प्रयास को प्रभावी बनाना ।
- स्वयं सहायता समूहों के विकास में बाधा बनने वाले बुनियादी अवसंस्चना की कमी को दूर करना चाहिए।
- नियमित एवं प्रभावी प्रशिक्षण को लागू करना।
- आदर्श पूँजी की कमी को दूर करना
- कच्चे माल, उत्पाद की तकनीक, उत्पाद के वितरण तथा उपयुक्त बाजार की उपलब्धता पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता।
- समूह के अन्दर पारदर्शिता तथा वितीय प्रबंधन की कमी को दूर करने के लिए सार्थक उपाय करना।

निष्कर्ष

महिलाओं को आर्थिक दृष्टिकोण से सबल बनाने के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है। सरकार के इस प्रयास की सार्थकता भी सामने आ रही है कल तक घर में कैद रहने वाली महिलाएँ आज समाज के विभिन्न क्षेत्रों में परचम लहरा रही है। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाएँ व्यवसाय के क्षेत्र में भी आगे आ रही है।

ISSN2277-3630(online),Published by International journal of Social Sciences & Interdisciplinary Research., under Volume: 15 Issue:06 in Jue-2026
https://www.gejournal.net/index.php/IJSSIR
Copyright (c) 2026 Author (s). This is an open-access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution License(CCBY).To viewacopyofthislicense, visithttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

स्वयं सहायता समूहों ने भारत सहित विश्व के विकासशील देशों में लाखों महिलाओं का ऐसा आत्मनिर्भर व्यवसायी बनाया है। जिनका अपने जीवन और भविष्य पर अधिक नियंत्रण है।

स्वयं सहायता समूहों में संगठित महिलाएँ ऐसे कार्यों के लिए ऋण लेती है जिनके द्वारा वे या तो अकेले आय अर्जित करती है या फिर इस कार्य द्वारा अपने परिवार की आय को बढ़ाती है यानि स्वयं सहायता समूह महिलाओं को आय–जनन करने वाली उद्यमी बनने में मदद करते हैं।

महिलाएँ न केवल परिवार की विभिन्न जरूरतों को पूरा करती है बल्कि भविष्य के लिए कुछ पैसा बचा कर भी रखती है।

स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएँ आत्मविष्वास तथा समूह के सदस्यों के सहयोग के माध्यम से घरेलू हिंसा और शोषण पर प्रभावकारी ढंग से रोक लगाई है।

वर्त्तमान युग में महिलाओं को सशक्त बनाने, उनकी क्षमताओं और कौषल का विकास करने हेतु विभिन्न योजनाएँ और कार्यक्रम संचालित किए जा रहे है। जिसके कारण देश में शनैः–षनैः लैगिंक भेदभाव की दीवारें ढह रही है।

वस्तुतः स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग बनकर ग्रामीण महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रहा है। इस कार्यक्रम की वजह से महिलाओं की स्थिति व दषा में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक दृष्टिकोण से क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए है। स्वयं सहायता समूह के जरिए लघु वित्त प्राप्त करके महिलाएँ गरीबी, बेरोजगारी व निरक्षरता के चक्रव्यूह से निकलकर महिला सषक्तिकरण की दिषा में कदम बढ़ा रही है।

संदर्भ–सूची

1. डॉ0 अग्रवाल, गोपाल कृष्ण, सामाजिक समस्याए
2. अजीत कुमार (परियोजना समन्वयक) : स्वयं सहायता समूह प्रषिक्षण मार्गदर्षिका
3. गुप्ता एम.एल. शर्मा डी.डी. (1998) समाजषास्त्र साहित्य भवन पब्लिकेषन आगरा
4. शुक्ला एस0एम0ण् सहाय एस0पी0 (2005) सांख्यिकी के सिद्धान्त साहित्य भवन पब्लिकेषन हास्पिटल रोड आगरा
5. राय, पारसनाथ (1973) अनुसंधान परिचय, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल आगरा
6. "कुरूक्षेत्र", प्रकाषन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार, जनवरी 2021
7. "कुरूक्षेत्र", प्रकाषन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार, जुलाई 2013
8. "कुरूक्षेत्र", प्रकाषन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार, जुलाई 2019

ISSN2277-3630(online),Published by International journal of Social Sciences & Interdisciplinary Research., under Volume: 15 Issue:06 in Jue-2026
https://www.gejournal.net/index.php/IJSSIR

Copyright (c) 2026 Author (s). This is an open-access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution License(CCBY).To viewacopyofthislicense, visithttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/